आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

25-2-20

न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया

सेवा अपील वाद संख्या-13/2019

1. नीलम देवी, पति स्व0 बेचन पासवान, सा0-बेलदारी, पो0-मलडीहा, थाना-बी0कोठी, जिला-पूर्णिया।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. आरती देवी, पति मिथुन पासवान, सा0-पटराहा वार्ड नं0-08, पंचायत-पटराहा, थाना-बी0कोठी, जिला-पूर्णिया।
2. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया।

..... विपक्षीगण

आ दे श

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के ज्ञापांक 854/जि0प्रो0 दिनांक 21.06.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है।** यह मामला **आंगनबाड़ी केन्द्र, वार्ड नं0-08, पंचायत-पटराहा, परियोजना-बी0कोठी** के **सहायिका** पद से संबंधित है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि दिनांक 19.09.17 को आयोजित आम सभा की बैठक के बाद अपीलार्थी को सहायिक पद का चयन पत्र दिया गया। अपीलार्थी स्व0 बेचन पासवान की विधवा है। इसी आधार पर अपीलार्थी का चयन किया गया है। चयन के पश्चात् विपक्षी सं0-01 के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि पंचायत निर्वाचन 2016 के मतदाता सूची में अपीलार्थी के पति का नाम मनोज पासवान अंकित है। अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष अनुरोध किया गया कि उनके पति स्व0 बेचन पासवान थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 20.11.2006 को हुई। इस कथन की पुष्टि हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मतदाता पहचान पत्र भी प्रस्तुत किया गया परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा मात्र मतदाता सूची में पति का गलत नाम अंकित हो जाने के कारण अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी एक गरीब विधवा है एवं दिनांक 20.12.18 से 27.12.18 तक सहायिका पद का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुकी हैं। अतएव अनुरोध है कि अपील आवेदन स्वीकत करते हए विपक्षी सं0-01 के चयन को रद्द करने की कपा की

विपक्षी सं0-01 का कथन है कि यह वाद कानून एवं तथ्यों के ाधार पर निर्वहन योग्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा सहायिका पद पर फर्जी ोके से विधवा के प्रमाण पत्र पर चयन संबंधी आवेदन दिया गया था था उनका चयन भी किया गया था जिसे सुनवाई के बाद सही नहीं पाये ाने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा रद्द कर दिया गया। वायत निर्वाचन 2016 के मतदाता सूची में अपीलार्थी के पति का नाम नोज पासवान दर्ज है। इनके द्वारा स्व0 बेचन पासवान को अपना पति ता कर तथा विधवा बनकर गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा । वास्तव में अपीलार्थी विधवा नहीं हैं। मेधा सूची में भी विपक्षी 0-01 का अंक अधिक है। निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। तएव अपील आवेदन खारीज करने की कृपा की जाए।

इस वाद में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के ज्ञापांक 54/जि0प्रो0 दिनांक 10.06.19 द्वारा पारित आदेश का अवलोकन ्या, जिसमें मुख्य रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी सं0-01 धा सूची में प्रथम स्थान पर हैं। अपीलार्थी का चयन विधवा होने के ाधार पर किया गया था जिसमें उनके पति का नाम स्व0 बेचन पासवान ताया गया जबकि मतदाता सूची में अपीलार्थी के पति का नाम मनोज ासवान है।

इस संबंध में दिनांक 20.12.19 की सुनवाई में अपीलार्थी के ाद्धान अधिवक्ता को निदेश दिया गया कि स्व0 बेचन पासवान से बंधित वंशावली प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें। रन्तु कई तिथि बीत जाने के बाद भी वंशावली प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं ्या गया। इस प्रकार अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में विफल रहे कि नके पति स्व0 बेचन पासवान हैं।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजात्, उनके विद्वान अधिवक्ता का ाभिकथन तथा उपलब्ध प्रतिवेदन के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष र पहुँचती है कि विपक्षी सं0-01 का चयन विभागीय मार्गदर्शिका के ालोक में किया गया है। अपीलार्थी का दावा तथ्यात्मक प्रतीत नहीं होता । निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि-सम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप ी आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की ति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया एवं **बाल विकास परियोजना दाधिकारी, बी0कोठी** को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।